

भारत सरकार  
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या : 541  
उत्तर देने की तारीख : 03.12.2025

असम में पीएम-विकास के माध्यम से विकास

541. श्री प्रद्युत बोरदोलोई:

क्या अल्पसंख्यक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में असम में स्वीकृत और पूर्ण की गई पीएम-विकास परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और क्षेत्र-वार (जैसे, सांस्कृतिक स्थल, संग्रहालय) कितनी निधि आबंटित की गई है;

(ख) कार्यशील पीएम-जेवीके और पीएम-विकास परियोजनाओं के वास्तविक विकास, आवंटित निधि, वितरित निधि और संभावित समय-सीमा के साथ-साथ इनकी वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भविष्य के चरणों में शामिल करने के लिए नए क्षेत्रों की पहचान की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और असम में कितने अल्पसंख्यक समुदायों और जिलों को पीएम-विकास कार्यक्रमों से सीधे लाभान्वित करने का प्रस्ताव है;

(घ) ऐसी परियोजनाओं के मूर्त प्रभाव का ब्यौरा क्या है तथा पर्यटकों की संख्या में वृद्धि, विरासत संरक्षण और स्थानीय आबादी या कारीगरों के लिए रोजगार या जीविका के साधनों के सृजन का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या असम में पीएम-विकास योजना की निगरानी और मूल्यांकन वार्षिक संपरीक्षा, सार्वजनिक प्रतिक्रिया या तृतीय-पक्ष मूल्यांकन जैसी विधियों का उपयोग किया जाता है और यदि हाँ, तो इसके नवीनतम निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरन रीजीजू)

(क) और (ख): प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो कौशल विकास, अल्पसंख्यक महिलाओं के बीच उद्यमशीलता और स्कूल ड्रापआउट छात्रों के लिए शिक्षा सहायता के माध्यम से छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण पर ध्यान केंद्रित करती है।

असम राज्य में गैर-पारंपरिक कौशल, पारंपरिक कौशल और महिला नेतृत्व और उद्यमिता उप-घटकों में 8 परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (PIA) को 12,020 का लक्ष्य आवंटित किया गया है। हालांकि, पीएम विकास

योजना का कार्यान्वयन हाल ही में शुरू किया गया है और असम में सभी आवंटित परियोजनाएं कार्यान्वयन के शुरुआती चरणों में हैं।

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य देश के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य, कौशल विकास, शिक्षा, महिला-केंद्रित परियोजनाएँ, पेयजल एवं आपूर्ति, स्वच्छता, खेल, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, पशुपालन तथा अन्य सामुदायिक बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में सामुदायिक अवसंरचना विकसित करना है। PMJVK योजना की शुरुआत से इसके अंतर्गत असम राज्य के लिए स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण अनुबंध-1 में दिया गया है।

(ग) पीएम विकास योजना के अंतर्गत, मंत्रालय का एक समर्पित पोर्टल है जिसके माध्यम से सभी पात्र संस्थान योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। वर्तमान में इस योजना के तहत असम राज्य सहित देश भर के सभी पात्र संस्थानों से प्रस्ताव आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसलिए, योजना के तहत परियोजनाओं को प्राप्त प्रस्तावों की जांच के आधार पर आवंटित किया जाता है। इस प्रकार, भविष्य के चरणों में शामिल करने के लिए असम राज्य के किसी भी विशिष्ट क्षेत्र की पहचान नहीं की गई है, हालांकि प्रस्ताव करने वाले कार्यान्वयन संस्थान बिना किसी अपवाद के किसी भी जिले में योजना को लागू करने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

(घ) और (ङ): चूंकि पीएम विकास योजना का कार्यान्वयन हाल ही में शुरू किया गया है और असम में सभी आवंटित परियोजनाएं कार्यान्वयन के शुरुआती चरणों में हैं, इसलिए योजना के तहत अब तक कोई परिणाम आधारित अध्ययन/नीतिगत मूल्यांकन/तृतीय पक्ष समवर्ती निगरानी नहीं की गई है। हालांकि, योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार नीति के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए योजना की समवर्ती निगरानी अनिवार्य है। इसके अलावा, पीएम विकास के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, पीएम विकास योजना के लिए मंत्रालय के समर्पित पोर्टल को कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (MSDE) के स्किल इंडिया डिजिटल हब (SIDH) पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। ताकि 'समग्र सरकार' दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कौशल व्यवस्था में सामंजस्य के साथ कुशल, वास्तविक समय निगरानी सुनिश्चित की जा सके।

\*\*\*\*\*

‘असम में पीएम-विकास के माध्यम से विकास’ के संबंध में श्री प्रद्युत बोरदोलोई द्वारा पूछे गए दिनांक 03.12.2025 कोक उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 541 के भाग (क एवं ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पीएमजेवीके की शुरुआत से तहत असम राज्य में स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण

(रू. लाख में)

परियोजना का नाम	कुल लागत	इकाइयों की संख्या	पूर्ण की गई इकाइयां	इकाइयां, जो निर्माणाधीन हैं	इकाइयां, जो शुरू नहीं की गई	रद्द की गई इकाइयां	रद्द की जाने वाली इकाइयां	पूर्ण लेकिन गैर-कार्यात्मक इकाइयां
स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाएं/ पुस्तकालय/प्रयोगशाला/ हॉल	46768.84 34	10156	1953	1970	77	456	1021	4679
आंगनवाड़ी केन्द्र (AWC)	14174.03	3400	308	278	121	122	690	1881
सामुदायिक सेवा केंद्र/सद्भाव मंडप/सामुदायिक हॉल	18029.16	440	13	136	2	9	13	267
पेयजल	7147.546	20823	6213	904	1	52	2907	10746
स्वास्थ्य परियोजनाएं	7889.846	613	22	56	14	31	34	456
स्कूल/आईटीआई/पॉलिटे क्रिक के लिए छात्रावास	9086.535	119	4	27	1	6	9	72
इंदिरा आवास योजना (IAY)	36199.95 5	89887	3849	107	3500	1924	6222	74285
कॉलेज में बुनियादी ढांचा	165.7	6		0	0	0		6
आईटीआई/आईटीआई के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा	7710	15	0	5	0	0	0	10
विविध बुनियादी ढांचा	318.48	10047	0	6	0	3240	3333	3468
गैर-सिविल कार्य - साइकिल/ फर्नीचर/उपकरण/प्रशिक्ष	16	16		0	0	0		16

ण								
स्कूल में अन्य बुनियादी ढांचा	5606.185	1535	155	397	19	14	58	892
पॉलिटैक्रिक/मौजूदा पॉलिटैक्रिक के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा	500	1	0	0	0	0	0	1
आवासीय विद्यालय	63896.49	21	0	8	0	0	0	13
स्कूल भवन	4074.77	422	10	131	3	4	1	273
कौशल केंद्र	384	7	0	2	0	0	0	5
स्कूल में स्मार्ट कक्षा/कंप्यूटर प्रयोगशाला/शिक्षण सहायता सामग्री	8050.02	2509	67	1	0	0	1	2440
खेल परियोजनाएं	40	1		0	0	0		1
<b>कुल योग</b>	<b>230057.5</b>	<b>14001</b>	<b>1259</b>	<b>4028</b>	<b>3738</b>	<b>5858</b>	<b>1428</b>	<b>99511</b>
	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>4</b>				<b>9</b>	

\*\*\*\*\*